

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2013/885

दिनांक:- 3/9/13

उप आवासन आयुक्त/
आवासीय अभियन्ता,
वृत्त/खण्ड.....,
राजस्थान आवासन मण्डल,
.....।

विषय:- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2(19)एफडी(टेक्स)/
2007-56 दिनांक 02.08.2013 के अनुसार अपंजीकृत/अमुद्रांकित
दस्तावेजों के आधार पर नियमन की कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ:- आदेश क्रमांक मु.स.प्र./2013/803 दिनांक 14.08.2013 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश क्रमांक 803 दिनांक 14.08.
2013 में अपंजीकृत/अमुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर आवासों के नियमन हेतु
दिनांक 25.09.2013 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें
आंशिक संशोधित करते हुए मण्डल के द्वारा नियमितिकरण हेतु निर्धारित समय
अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन शहरो के संग अभियान-2013 के दौरान
दिनांक 15.09.13 तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

भवदीय,

(कर्णसिंह गोडवाल)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक
3/9/13